

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

क्रमांक:- एफ-3(ख)(एस-541/88)/अलेसे-II/378

दिनांक:- 29.7.19

आदेश संख्या :-

श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी को स्थानान्तरण पर उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं झुंझुनू से दिनांक 18.01.2018 को कार्यमुक्त किया गया था। श्री जोशी ने दिनांक 12.03.2018 को कोषालय झुंझुनू में कार्यग्रहण किया था। श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II द्वारा दिनांक 19.01.2018 से 11.03.2018 तक चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर रूपान्तरित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर निम्नानुसार रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अवधि (कब से कब तक)	कुल दिवस	डेबिट किये जाने वाले अर्द्धवेतन अवकाशों की संख्या
1	19.01.2018 से 11.03.2018	52 दिवस	104

उक्त अवकाशों का इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से कराने के पश्चात् ही भुगतान किया जावे।

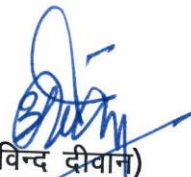

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ-3(ख)(एस-541/88)/अलेसे-II/378

दिनांक:- 29.7.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के अवकाश का इन्द्राज सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर अवकाश वेतन आहरण की आवश्यक कार्यवाही संपादित करावें तथा सेवापुस्तिका में इसकी प्रविष्टि कर सूचना निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झुंझुनू।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)